

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

तान ... श्री. अशोक सिंह ... बनाम ... अशोक सिंह वगैरे ...

म मुकदमा ... ज. पत्र टी. आर्. ... मुकदमा नं. ... FT-26/2019 ... 2019

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
22 ⁰⁴ / ₁₉	<p>वकील जर्जी श्री सुभाष नेहा ने दायर अर्जत होकर ज. पत्र टी. आर्. पेश किया। प्रथम पत्र दर्ज एजिस्ट्र किया जावे। जर्जी अधिवक्ता की एक पक्षीय दलील वास्तु अर्जत निषेधाज्ञा सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध एजिस्ट्र रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जर्जी अधिवक्ता के साक्ष्यों एवं दलील पर सगोर मनन किया गया जिससे उक्त पत्रावली को अन्तरीम टी. आर्. से पाबंद किया जाना न्याय संगत ज्ञात होता है।</p> <p>अतः उक्त पत्रावली को आगामी तारीख पेशी तक जर्जी अर्जत निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आप वादग्रस्त बराजी ख. नं. 200, 201, 26/1, 93/2 तन ग्राम बावडी का बिना विधिक तन्नास्मा के विक्रय ना करे एवं बिना विधिक आदेश के सम्पत्तिन योग्य कार्य व उपयोग में ना लाएं। अर्जत निषेधाज्ञा एजिस्ट्र पर लागू नहीं होगी। उक्त पत्र को उक्त आदेश उल्लिखित कर अज्ञापन की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 20/05/19 को पेश हो।</p>	<p>429-33 22/4/19</p>

भागीरथ vs नन्दकिशोर T.9. 26/2019

20⁰⁵/₁₉

पत्रावली पेश हुई, जल्लाह में क्वार्ट-क्वार्ट आवाज लगावई गई। वज्जुलाम उभयपक्ष अस्वय पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अस्सालत नही आया। अतः जल्लाह अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में खालिफ किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार डीकर नम्बर से कम हो तथा क्वार्ट तकमिल दाखिल दफ्तर हो। निर्णय जल्लाह न्यायालय में सुनाया गया।



20/05/2019

सहायक कलक्टर
(फारम ट्रेक) अहमदाबाद